

राजस्थान सरकार
जसिये पटवारी हल्का खरेव
मुकदमा नं. 34 / 2018

वाहक श्री हेमारास मेवावाल
पुत्र श्री रामकर
जाति मेवावाल नि. खरेव
राज भू. राजस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 24/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम खरेव खसरा नम्बर 510
रकबा 0.80 हैक्टर किरम खार 2 (राजकीय भूमि) पर संवत् 2075 में श्री हेमारास
पुत्र श्री रामकर जाति मेवावाल निवासी खरेव (जिसने
आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाध लगाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का
अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्थान अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी ना भाई उपस्थित हुआ। अप्रार्थी श्री

मौर से किसी भी प्रकार का गवाब साबूब प्रस्तुत नहीं किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम खरेव
ख.न. 510 रकबा 0.80 किरम खार 2 पर संवत् 2075 में विना विधिक
अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाध लगाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-

- (1) अतिक्रमी को आरजी राज से वेदखल किया जाकर कब्जा वहक सरकार लिया जावे।
- (2) लगान दर रूपया 25 प्रति हेक्टर का 50 गुणा रूपया 10000/5 (रूपये) शास्ति कायम की जाती है।

कियाचिती हेतु पटवारी हल्का खरेव निर्णय की
बागौर एवं तहसील राजस्थान लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।
शु. अभिलेख निरीक्षक

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

2018-19
राज. भू. नं. 61
पत्र नं. 1000 / 50 की
बा. नं. 1 है।

(Signature)
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

(Signature)
तहसीलदार